**भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड**

**बनाम**

**दी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड**

**12 अक्टूबर 2007**

**तरुण चटर्जी एवं डी के जैन, जे जे)**

*मध्यस्थता -मध्यस्थता समझौता- प्रयोज्यता- चार्टर पार्टी समझौता - तेल निगम को जहाजों को किराये पर देने के लिए -समझौता करार की समाप्ति के बाद पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुए -विवाद को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित (Reference) की गयी -न्यायाधिकरण ने इस आधार पर निर्णय देने से इनकार कर दिया कि मध्यस्थता खंड को समझौते की समाप्ति के बाद इसे लागू नहीं किया जाएगा -उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया- अपील का निर्णय दिया गया ,प्रतिपादित किया कि: समझौता करार में निहित मध्यस्थता खंड को समझौते की समाप्ति के बाद भी लागू किया जा सकता है करार की निर्धारित समय की समाप्ति के बावजूद समझौता, उसी उद्देश्य के लिए उसके अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्धारण करने के लिए समाप्त नहीं हुआ।*

*अनुबंध -प्रस्ताव की स्वीकृति - करने का तरीका- धारित किया गया कि : सामान्य नियम यह है कि केवल मौन चुप्पी से प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो जाता परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि इसे कई सारे शब्दों में किया*

*जाना चाहिए -कुछ परिस्थितियों में, प्रस्ताविति अर्थात प्रस्तावगृहीता की मौन चुप्पी उसके आचरण के साथ मिलकर सकारात्मक कृत्य का रूप ले सकती है जो मौन चुप्पी से स्वीकृति को गठित करती है*

*सिद्धान्त -मौन चुप्पी का सिद्धान्त -इसकी प्रयोज्यता -*

**दिनांक 6 मई, 1997 को अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच अपीलकर्ता को प्रत्यर्थी की ओर से भाड़े पर जहाज किराया पर देने के लिए 'टाइम चार्टर पार्टी' नामक एक समझौता करार किया गया, इसे आपसी सहमति से दिनांक 31 अगस्त 1998 तक बढ़ा दिया गया । इसके बाद टेंडर आमंत्रित किया जाकर नई बोलियाँ की गईं । कुछ बोलीदाताओं ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के खिलाफ सीलबंद निविदाएं खुलने के बाद संशोधित मूल्य बोलियां आमंत्रित करने का निर्णय के विरुद्ध रिट याचिका दायर की। नई चार्टर पार्टी करार को अंतिम रूप देने के दौरान प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि वे 1 जुलाई 1998 से जहाज के उपयोग के लिए नई दरें लागू करने के लिए सहमत हैं, बशर्ते इसके सभी नौ जहाजों का उपयोग किया गया हो। उनके 5 नवंबर 1998 के दिनांकित पत्र द्वारा उन्होंने अपीलकर्ता द्वारा दरों में कमी संशोधन का भी विरोध किया तथा नयी नीति के तहत जहाज के बारे विचार नहीं किए जाने के लिए विरोध किया | विरोध पर अपीलकर्ता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। प्रत्यर्थी ने दिनांक 4 जनवरी 1999 को लिखे अपने पत्र द्वारा**

अपनी मौजूदा शर्तों व नियमो के आधार पर नई चार्टर पार्टी करार पर हस्ताक्षर करने की इच्छा व्यक्त की कि नई चार्टर पार्टी करार को अंतिम रूप देने तक मौजूदा शर्ते व नियम ही लागू होती रहेंगे । यह भी सुझाव दिया गया उस समझौते पर दिनांक 1 सितंबर 1998 से लेकर मौजूदा शर्तों व नियमो पर मामला अंतिम रूप से तय हो जाने तक की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, इस पत्र का भी अपीलकर्ता की ओर से कोई जवाब नहीं आया । इस वर्ष के दौरान पक्षकारों के बीच के बीच आगे कोई पत्राचार नहीं हुआ। 20 अगस्त 1999 को रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया। अपीलकर्ता ने दिनांक 6 मई 1997 चार्टर के तहत दिनांक 31 अगस्त 1999 तक जहाज का उपयोग जारी रखा| आईओसी। ने प्रत्यर्थी को उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार निविदाओं के मूल्यांकन के बारे में जानकारी दी। प्रत्यर्थी ने दो जहाज को छोड़कर प्रस्तावित दरों को स्वीकार कर लिया | उन्होंने इन दोनों के संबंध में दरों में संशोधन का अनुरोध किया, लेकिन उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। कुछ नोटिसों और कुछ पश्चातवर्ती पत्राचार के अनुसरण मे एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण गठित किया गया पंचाट न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि न्यायाधिकरण को दिनांक 6 मई, 1997 का चार्टर पार्टी करार के संदर्भ (रिफ्रेन्स) तय करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, मध्यस्थता खंड जिसमें लागू किया गया था तथा समझौता करार में निहित मध्यस्थता खंड दिनांक 31 अगस्त 1998 तक और 31 अगस्त 1998 तक की अवधि के संबंधित

विवाद पर ही मान्य था; और दिनांक 6 मई 1998 का चार्टर पार्टी करार को नए समझौते द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जिसके अनुसार चार्टर किराया दरें तेल समन्वय समिति द्वारा निर्धारित की जानी थीं | उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पारित पंचाट को रद्द कर दिया कि न्यायाधिकरण के पास विवाद पर निर्णय देने का अधिकार क्षेत्र था;और न्यायाधिकरण दिनांक 6 मई 1997 के चार्टर पार्टी करार के खंड 4.1 और 23 पर विचार करने में विफल रहा, जिसके अनुसार चार्टर पार्टी करार केवल जहाज का पुनः वितरण पर ही समाप्त होना था और स्वीकार्य रूप से 31 अगस्त 1998 के बाद जहाज का पुनः वितरण नहीं हुआ और इस प्रकार यह दिनांक 6 मई 1997 की चार्टर पार्टी नीति के अनुसार ही जारी रहा । इसलिए वर्तमान अपील पेश कि गयी।

न्यायालय के सामने निर्धारण का प्रश्न यह था कि क्या दिनांक 31 अगस्त 1998 को चार्टर किराये की विस्तारित अवधि की गुजर जाने के बाद, चार्टर पार्टी करार दिनांक 6 मई 1997 समाप्त हो गया और मध्यस्थता समझौता इसके साथ समाप्त हो गया ।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया -

1. सामान्य नियम यह है कि केवल मौन चुप्पी से प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो जाता परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि इसे कई सारे शब्दों में किया जाना चाहिए -कुछ परिस्थितियों में, प्रस्ताविति अर्थात प्रस्तावगृहीता

**की मौन चुप्पी उसके आचरण के साथ मिलकर सकारात्मक कृत्य का रूप ले सकती है जो मौन चुप्पी से एक करार की स्वीकृति को गठित कर सकता है, इसलिए, पक्षकारों के बीच किसी अनुबंध की शर्तें को न केवल उनके शब्दों से बल्कि उनके आचरण से से भी साबित किया जा सकता है ||[पैरा 19] [128-ई-एफ]**

**2. वर्तमान मामले में मौन चुप्पी का सिद्धांत स्पष्ट रूप से आकर्षित होता है । पक्षकारों का आचरण, जैसा कि पक्षकारों के बीच के पत्राचार में प्रमाणित है, और विशेष रूप से प्रत्यर्थी के पत्र दिनांक 5 नवंबर, 1998 और 4 जनवरी 1999 पर अपीलकर्ता की चुप्पी पर इस तथ्य के साथ कि उन्होंने जहाज का उपयोग जारी रखा, स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि चार्टर दर को छोड़कर, पक्षकारो के बीच कोई अन्य विवाद नहीं था. उन्होंने प्रत्यर्थी के रुख को मौन चुप्पी के रूप मे स्वीकार कर लिया और इस प्रकार, चार्टर पार्टी दिनांक 6 मई, 1997 में निहित अन्य नियमों और शर्तों द्वारा खुद को बंधित कर लिया था, जो स्पष्ट रूप से मध्यस्थता खंड मे शामिल था। [पैरा 20) [128-जी; 129-जी-एच; 130-ए]**

**3. चार्टर पार्टी दिनांक 6 मई 1997 करार के खंड, 4.1 और 23 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता उपर्युक्त खण्डों में विचारित प्रक्रिया के अनुसार जहाज को पुनः वितरित करने के दायित्व के अधीन था । निर्विवाद रूप से, प्रश्नगत जहाज को कम से कम प्रासंगिक**

**अवधि के दौरान पुनः वितरित नहीं किया गया था और अपीलकर्ता ने 31 अगस्त, 1998 की तारीख के बाद अवधि मे भी जहाज का उपयोग जारी रखा । चार्टर पार्टी करार के खंड 4.1 के अनुसार जहाज को पुनः वितरित करने में विफल रहने पर, अपीलकर्ता यह दलील नहीं दे सकता कि चार्टर पार्टी का पूरी तरह पालन कर दिया गया था । अभिवचनों और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय किया गया मुद्दे से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी का लगातार यह रुख रहा कि चूंकि किराये पर लिया गया जहाज को चार्टर पार्टी करार के अंत समय में जहाज को पुनः वितरित नहीं किया गया था अतः जहाज दिनांक 6 मई, 1997 के चार्टर पार्टी करार के नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा । हालाँकि, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने उक्त मुद्दे को प्रत्यर्थी के खिलाफ विनिश्चित किया | खंड 4.1 और 23 के अंतर्गत जहाज की डिलीवरी न होने का प्रभाव और परिणाम से उत्पन्न होने वाला विवाद स्वयमेव उक्त 'चार्टर पार्टी' करार के अंतर्गत पैदा हों वाला विवाद ही होगा | आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने मामले मे इस पहलू की अनदेखी की | [पैरा 22] (130-एच; 131-ए-सी)**

**4. यद्यपि दिनांक 6 मई 1997 के चार्टर पार्टी समझौते के निष्पादन का अंत दिनांक 31 अगस्त 1998 को हो सकता है ,लेकिन यह अभी भी कुछ उद्देश्यों के लिए अस्तित्व में था, जैसे निर्धारित तंत्र के अनुसार पोत पुन: वितरण नहीं करने का प्रभाव और निर्धारित समय से परे इसका सतत उपयोग किया जाना इस प्रकार उक्त चार्टर पार्टी करार**

**मध्यस्थता खंड में इनके मूल उद्देश्य और अन्य सहयोगी उद्देश्य के संबंध में संचालित था | अतः प्रस्तुत मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य मे अपरिहार्य निष्कर्ष इस प्रकार है कि दिनांक 6 मई 1997 को टाइम चार्टर पार्टी कि अवधि समाप्ति के बावजूद उक्त चार्टर पार्टी का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, समाप्त नहीं हुआ जिसके अंतर्गत इसके तहत उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्धारण और उसमें निहित मध्यस्थता खंड को प्रत्यर्थी द्वारा लागू किया जा सकता है। पी [पैरा23] (131-डी-एफ)**

**5. नए सिरे से मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करना उचित एवं समीचीन होगा | तदनुसार, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीशों को मिलकर गठित किया जाता है जो पक्षकारों की सहमति और ऐसी शर्तों एवं नियमो के अधीन, जो वे उचित और उचित समझें,पक्षकारों द्वारा पेश दावे/प्रतिदावे पर अपना निर्णय पारित करेगा | (पैरा 25] [132-ए-बी]**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4829 वर्ष 2007.

बॉम्बे उच्च न्यायालय के मध्यस्थता याचिका संख्या 331 वर्ष 2003 मे पारित निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 1.3.2005 से

सुधीर चंद्रा, पारिजात सिन्हा, एस.सी. घोष, सौमित्र घोष चौधरी, रेशमी रिया सिन्हा और स्नेहाशीष मुखर्जी - अपीलर्थी की ओर से

श्याम दीवान, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, ई.सी. अग्रवाल, गौरव गोयल, अमित शर्मा और नेहा अग्रवाल - प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

1. डी.के. जैन, जे. याचिका प्रस्तुति की अनुमति स्वीकृत।

2. यह विशेष अनुमति द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 1 मार्च, 2005 को बॉम्बे उच्च न्यायालय एक निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है जिसमे यह मानते हुए कि उनके पास पक्षकारों द्वारा किए गए दावे और प्रतिदावे पर विचारण करने अधिकार क्षेत्र नहीं है

3. प्रस्तुत मामले मे मुद्दे परिशीलन करने के लिए , विनिश्चयन करने हेतु यहा मामले के कुछ प्रासंगिक तथ्य बताए जा सकते हैं।

अपीलकर्ता -मै. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक भारत सरकार का उपक्रम है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है जो शोधन, वितरण और पूरे देश मे पेट्रोलियम उत्पादो की बिक्री में संलग्न निगम है। प्रत्यर्थी एम/एस ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड व्यवसाय में लगी हुई है जो शिपिंग और संबद्ध गतिविधियों के लिए निगमित कंपनी है और जो चार्टर के टैंकर

जहाजों के एक बेड़े का मालिक है, जिसमें "जग प्रजा" नामक जहाज भी शामिल है।

4. एक समझौता, जिसे कानूनी भाषा में "टाइम चार्टर पार्टी" कहा जाता है, अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच 6 मई 1997 को दोनों पक्षो के बीच जहाजों को किराये पर देने हेतु दो वर्ष कि अवधि के लिए दिनांक 22 सितंबर, 1996 से 30 जून, 1997 तक और 01 जुलाई 1997 से 30 जून 1998 तक उक्त समझौते में निर्धारित शर्तों और निबंधनों पर किया गया था| हालाँकि, चार्टर पार्टी समाप्त होने से पहले, 29 जून 1998 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (संक्षेप में 'आईओसी'), अपीलकर्ता के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए प्रत्यर्थी सहित विभिन्न जहाज मालिकों को फैक्स जारी कर दिनांक 6 मई 1997 के चार्टर पार्टी समझौते की वैधता को 30 जून 1998 से आगे की 1 जुलाई 1998 कि तारीख से एक महीने की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया और साथ ही दो आगामी विस्तार प्रत्येक 15 दिन का विस्तार का विकल्प रखते हुए उक्त फेक्स प्रेषित किया । प्रत्यर्थी उक्त प्रस्ताव पर सहमत हो गया । तदनुसार, 29 जून, 1998 को पक्षकारों ने एक परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किये गये जिसके द्वारा चार्टर पार्टी की वैधता एक महीने के लिए अवधि बढ़ा दी गई थी साथ ही दो आगामी विस्तार प्रत्येक 15 दिन का विस्तार का विकल्प के साथ उसे बढ़ाया गया | 6 मई 1997 के चार्टर पार्टी में निहित नियम और शर्तें;

अपवाद और छूट के प्रावधान अपरिवर्तित रहे। 6 मई 1997 के चार्टर पार्टी को 31 अगस्त, 1998 तक बढ़ाने हेतु पक्षकार सहमत थे

5. ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि चार्टर पार्टी दिनांक 6 मई, 1997 जो दिनांक 31 अगस्त, 1998 को समाप्त होने वाली थी, दिनांक 26 अगस्त 1998 के फैक्स के माध्यम से तेल कंपनियों ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक शाखा, तेल समन्वय समिति से अनुमति की मांग की कि चार्टर पार्टी को आगे विस्तार किया जाए। हालाँकि, तेल समन्वय समिति ने अपने फैक्स संदेश दिनांक 31 अगस्त 1998 से द्वारा अपीलकर्ता सहित तेल कंपनियों के चार्टर पार्टी को बढ़ाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया| उक्त फैक्स संदेश तेल समन्वय समिति और तेल कंपनियाँ के बीच एक आंतरिक संचार था।

6. इसके बाद सितम्बर, 1998 में आई.ओ.सी. ने तेल उद्योग के लिए और उसकी ओर से समय चार्टर के आधार पर भारतीय तट पर एक वर्ष की अवधि के लिए 1 सितंबर, 1998 से शुरू होकर 31 अगस्त, 1999 तक पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई के लिए एक नया टेंडर प्रारम्भ किया जो निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित नियम एवं शर्तें के अधीन था । उक्त निविदा के जवाब में प्रत्यर्थी और अन्य जहाज मालिकों ने अपनी बोलियाँ प्रस्तुत कीं। ऐसा लगता है कि सीलबंद निविदाएं खुलने के बाद आईओसी के संशोधित मूल्य बोलिया आमंत्रण के निर्णय से व्यथित होकर,

बोलीदाताओं में से एक ने उक्त निर्णय पर सवाल उठाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट याचिका । अपीलकर्ता ने उक्त मामले में हस्तक्षेप किया । रिट याचिका का दिनांक 20 अगस्त, 1999 के आदेश द्वारा निपटारा कर दिया गया । बोलियां खोलने के बाद नई मूल्य बोलियां आमंत्रित करने में आईओसी की कार्रवाई को सैद्धांतिक रूप से अस्वीकृत करते हुए, लेकिन रिट में उठाए गए मुद्दों के गुणावगुण पर अंतिम राय दर्ज किए बिना याचिका को, न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि- (i) चार्टर किराया दरें निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा तय की जानी चाहिए और (ii) चूँकि निविदा 31 अगस्त, 1999 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए थी तथा रिट याचिका पर 20 अगस्त, 1999 को फैसला किया जा रहा था, आईओसी को 1 सितंबर 1998 से 31 अगस्त, 1999 की अवधि के लिए अनुबंध में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी । यह विवाद में नहीं है कि जहाज "जग प्रजा " जिसके बारे मे हम विचार कर रहे हैं, अपीलकर्ता द्वारा 31 अगस्त, 1999 तक चार्टर्ड किया जाना जारी रहे |

7. ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 1 सितंबर 1998 से प्रारंभ होने वाली अवधि में एक नई चार्टर पार्टी को अंतिम रूप दिया जाना लंबित है, तेल कंपनियों और प्रत्यर्थी सहित जहाज मालिकों के बीच कुछ बैठकें हुईं थी| 12 अक्टूबर, 1998 को, प्रत्यर्थी ने आईओसी को सूचित किया कि यदि पत्र में उल्लिखित इसके सभी नौ जहाजों का उपयोग उचित और

युक्तियुक्त दर पर एक साल के लिए दिनांक 01 सितंबर 1998 से 31 अगस्त 1990 की अवधि तक किया जाता है जिसके लिए निविदा प्रारम्भ कि गयी थी तो इसके लिए प्रत्यर्थी उक्त नौ जहाजों के उपयोग के लिए दिनांक 01 जुलाई 1998 से नयी सहमत दरो को लागू करने के लिए राजी थे| दिनांक 31 अक्टूबर, 1998 को आईओसी ने प्रत्यर्थी को तेल समन्वय समिति से उन्हें प्राप्त संदेश के प्रासंगिक भाग का फैक्स किया कि मौजूदा तटीय टैंकर बेड़े के उपयोग की अवधि को 31 अक्टूबर, 1998 तक विस्तार के लिए 80% चार्टर किराया दरों पर, जो 30 जून, 1998 तक प्रचलित थी उक्त को प्रोविजनल आधार पर उपयोग करने के लिए प्रेषित किया| जो अनन्तिम आधार पर, अनन्तिम चार्टर किराये के समायोजन के अधीन संशोधित चार्टर के विरुद्ध 1 सितंबर, 1998 से पूर्वव्यापी तिथि से तेल उद्योग द्वारा दिनांक 1 सितंबर 1998 को आईओसी द्वारा जारी निविदा के जवाब में किराये को अंतिम रूप दिया जाना था। प्रत्यर्थी की सहमति मांगी गई थी। प्रत्यर्थी ने 5 नवंबर, 1998 की तारीख के अपने पत्र के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से सहमत होकर तुरंत जवाब दिया कि संशोधित चार्टर किराया दरों को जिन्हे दिनांक 1 सितंबर, 1998 की तारीख को आईओसी द्वारा जारी निविदा के जवाब में इसे अंतिम रूप दिया जाना था दिनांक 1 सितंबर, 1998 से पूर्वव्यापी ऐसे चयनित जहाजों पर लागू होगा जो निविदा के तहत चुने जाने थे। यह इंगित किया गया था टेंडर के तहत जो जहाज किराए पर नहीं हैं, उन्हें नुकसान उठाना होगा | इसमें

साफ कहा गया कि चूंकि टेंडर अंतिम नहीं हुआ था इस कारण मालिकों को मौजूदा नियमों और शर्तों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। कुछ अन्य आपत्तियाँ, जो इस स्तर पर प्रासंगिक नहीं थीं, उन्हे भी इंगित की गईं। इस प्रकार जैसा कथित और करणीय था, तेल समन्वय समिति का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया था । फिर भी, विवाद को सुलझाने के लिए कुछ सुझाव दिये गये |

8. इस प्रकार, तेल समन्वय समिति का प्रस्ताव प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी ने वैकल्पिक रूप से, यह सुझाव दिया गया था कि चार्टर अवधि को मौजूदा नियम और शर्तें पर छह महीने तक बढ़ाया जाना चाहिए जो समय चार्टर दर पर पारस्परिक रूप से चर्चा से किए गए हो । स्वीकृत रूप से इस पत्र की तारीख के परे भी जहाजों को अपीलकर्ता द्वारा इसके बाद भी किराए पर लिया जाता रहा

9. इसके बाद करीब दो महीने तक पक्षकारों के बीच कोई संपर्क नहीं हो सका| 31 दिसंबर 1998 को ही जब आई.ओ.सी ने प्रत्यर्थी को एक फैक्स चार्टर पार्टी के संबंध में मसौदा पत्र संलग्न करते हुए जारी किया जो कि चार्टरर्स और मालिकों के बीच हस्ताक्षरित होने वाला समझौता(अत्यल्प संशोधन के साथ, यदि आवश्यक हो), और प्रत्यर्थी से तदनुसार 4 जनवरी 1999 के प्रस्ताव के अनुरूप हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया गया जब प्रत्यर्थी ने उक्त तारीख को उत्तर फैक्स में यह कहते हुए अपनी अनिच्छा

व्यक्त की कि सामान्य अभ्यास के अनुसार, नए चार्टर को अंतिम रूप दिए जाने तक, मौजूदा नियम और शर्तें के अनुसार चार्टर पार्टी आवेदन करना जारी रखेगी। अंत में, यह सुझाव दिया गया कि:

*"इसलिए, हमारा सुझाव है कि हम आपके साथ 1 सितम्बर 1998 से मामला समाप्त होने तक की अवधि तक के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करें जो मौजूदा शर्तों और नियमो के अधीन निविदा के तहत आपके द्वारा मामले पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक का हो और मौजूदा चार्टर पार्टी के चार्टर किराये का 90% दर पर* तदर्थ के रूप में *अनंतिम भुगतान करने की शर्त पर होगा |*

कृपया इसके अनुसरण मे एक उपयुक्त समझौता तैयार करने के लिए पुष्टि करें।"

10. अपीलकर्ता ने दिनांक 4 जनवरी, 1999 के पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी को सुझाव दिया कि औपचारिक चार्टर पार्टी की अनुपस्थिति में दिनांक 1 सितंबर, 1998 से प्रभावी, चार महीने की अवधि के लिए एक अनंतिम व्यवस्था जो 1 सितंबर 1998 से प्रभावी होगा जो एक माह की अवधि के लिए विस्तार होने योग्य विकल्प के साथ हो, परस्परिक सहमति से 30 जून 1998 को तदर्थ के रूप में प्रचलित चार्टर किराये की 80% की किराया दर पर प्रत्यर्थी से उक्त बात पर अपनी स्वीकृति व्यक्त करने के लिए कहा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता द्वारा

प्रस्तावित उक्त सुझाव का उत्तर नहीं दिया,लेकिन फिर भी उसका अपीलकर्ता के साथ चार्टर जहाज चालू रहा |

11. रिट याचिका का अंततः 20 अगस्त 1999 को निपटारा कर दिया गया। लगभग सात महीने के अंतराल के बाद ही 15 मार्च 2000 को , आईओसी ने प्रत्यर्थी को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में निविदाओं के मूल्यांकन के बारे में सूचित किया। प्रत्यर्थी को जहाज 'जग प्रजा' के लिए समन्वय समिति द्वारा चार्टर किराया दर अनुकूल की गयी दर जो 1 सितम्बर, 1998 से 31 अगस्त, 1999 तक की अवधि हेतु उपयोज्य थी, सूचित किया गया था| लेकिन कथित तौर पर प्रत्यर्थी ने प्रत्युत्तर में प्रस्तावित दर के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए और उनके मध्य लंबे कारोबारी संबंध को देखते हुए अपीलकर्ता के साथ प्रस्तावित प्रत्येक जहाज के संबंध में अलग-अलग अक्षरों में दर के बारे मे अपनी स्वीकृति से दिनांक 1 मई, 2000 को अवगत कराया इस आशा के साथ कि उनका बकाया शेष है उन्हें यथाशीघ्र किराया भुगतान किया जाएगा । हालाँकि , प्रत्यर्थी ने दो जहाजों अर्थात "जग प्रजा" और "जसिप्रा योग" के लिए चार्टर किराया दरों की अपनी स्वीकृति व्यक्त नहीं की । ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों जहाजों के संबंध मे प्रत्यर्थी ने दर में बढ़ोतरी के बारे मे अपीलकर्ता को कई पत्र लिखे लेकिन प्रतीत होता है कि उनका अनुरोध अंततः दिनांक 2 नवंबर, 2000 को खारिज कर दिया गया, जिसकी प्राप्ति पर प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता पर 6 नवंबर, 2000 को एक

कानूनी नोटिस भेजा गया साथ ही  उनसे आपसी चर्चा के आधार पर दरों को संशोधित करने का अनुरोध किया तथा शेष भुगतान पूर्ण करने को कहा . उक्त नोटिस का कोई उत्तर न मिलने पर दिनांक 01 दिसंबर, 2000 को एक अन्य कानूनी नोटिस प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को प्रेषित किया कि अपीलकर्ता को उन्हें 43,947,517/- रु की शेष राशि रुपये का भुगतान करना होगा जो 1 सितंबर, 1998 से 31 अगस्त, 1999 तक जहाज "जग प्रजा" के संबंध में चार्टर किराये के रूप में भुगतान किया जाना होगा| उक्त नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान करे अथवा इसे मध्यस्थता नोटिस के रूप में मानें। अपीलकर्ता को मध्यस्थ का नाम भी सूचित किया गया था | यह लगता है कि उक्त नोटिस और पक्षों के बीच कुछ बाद के पत्राचार के आदान-प्रदान बाद एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया।

12. मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष दावे और प्रति दावे प्रस्तुत किए गए | पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अधिकतम 8 विवाद बिन्दु विरचित किए | हालांकि बहस केवल तीन ही बिन्दुओ पर सुनी गयी जो इस प्रकार थे -

**विवाद बिन्दु संख्या 01:-** आया लिखित कथन के पेरा संख्या 01 मे बताए गए कारणो के अनुसार जग प्रिया जहाज के संबंध मे वादी और प्रत्यर्थी के मध्य सितंबर 1998 से अगस्त 1999 तक के बीच उत्पन्न होने

वाले विवादो को सुनने कि आधिकारिता श्रीमान मध्यस्थ न्यायाधिकरण को है?

**विवाद बिन्दु संख्या 02 :-** आया सामान्य आचरण के अंतर्गत टाइम चार्टर के अनुसार बताए गए समय सीमा मे अवधि कि समाप्ती होने तक जहाज पुनः वितरित नहीं किए जिस कारण जहाज उस चार्टर करार से प्रशासित होंगे जिसके लिए आरंभिक तौर पर किए गए थे |

**विवाद बिन्दु संख्या 03 :-** आया टाइम चार्टर पार्टी करार दिनांक 06 मई 1997 समय के प्रवाह के कारण दिनांक 30 अगस्त 1998 को समाप्त हो गया ?

**13.** दिनांक 12 मई, 2003 के आदेश के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता ने दिनांक 6 मई 1997 के चार्टर पार्टी समझौते में जो 3 अगस्त, 1998 तक वैध था एवं पार्टियों के बीच विवाद 31 अगस्त, 1998 के बाद की अवधि से संबंधित था निहित मध्यस्थता खंड का आह्वान किया है उक्त मामले मे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास संदर्भ (Reference) का श्रवण अधिकार नहीं था । विद्वान न्यायाधिकरण ने विवाद बिन्दु क्रमांक 2 को नकारात्मक और विवाद बिन्दु क्रमांक 5 सकारात्मक रूप में निर्णीत किया । मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अनुसार दिनांक 1 सितंबर, 1998 को और उसके बाद चार्टर पार्टी समझौता दिनांकित 6 मई, 1997 को एक नए समझौते द्वारा

प्रतिस्थापित किया गया था और इस नए करार की शर्त थी कि चार्टर किराया दर आईओसी की तेल समन्वय समिति द्वारा तय की जाएगी| संक्षेप में, मूल चार्टर पार्टी करार दिनांक 6 मई 1997 का प्रवर्तन समाप्त हो चुका था

14. प्रत्यर्थी ने उक्त पंचाट को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। आक्षेपित आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त पंचाट को अपास्त कर दिया है, अन्य बातों के अलावा, यह मानते हुए कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पक्षों के बीच विवादों का निपटारा करने का अधिकार क्षेत्र है क्योंकि दिनांक 31 अगस्त 1998 के बाद भी बाद की अवधि के लिए अपीलकर्ता द्वारा जहाज किराए पर उनही शर्तो और निबंधनों पर जो मूल चार्टर पार्टी करार दिनांक 6 मई 1997 मे तय किए गए थे उक्त अनुसार ही जारी रहा जो केवल ऐसे संशोधन या परिवर्तन दर के अधीन था जिनको तेल समन्वय समिति द्वारा निर्धारित किया जाता। विद्वान न्यायाधीश ने यह भी महसूस किया कि न्यायाधिकरण ने खंड 23 और 4.1 को पूरी तरह से बाहर करके गलती की है जिसके तहत जहाज की पुनः डिलीवरी पर करार की समाप्ति होनी थी। स्वीकार्य रूप से दिनांक 3 अगस्त, 1998 के बाद जहाज की पुनः डिलीवरी नहीं की गयी और इसलिए, खंड 23 के संदर्भ में, जहाज किराया शुल्क के संबंध में असहमति होने के कारण किराया शुल्क के बिन्दु को छोड़कर उन्ही नियम एवं शर्तों पर नियुक्त किया जाता रहा। इस प्रकार, यह माना गया कि दिनांक 6 मई

1997 की चार्टर पार्टी करार समय के प्रवाह से समाप्त नहीं हुआ और इसे पक्षकारों द्वारा किराये की दर को छोड़कर समान नियम एवं शर्तों पर बढ़ाया गया। इस अपील में उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाया गया है।

15. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सुधीर चंद्रा ने केवल इसी आधार पर आक्षेपित आदेश पर आपत्ति जताई है कि 6 मई 1997 की चार्टर पार्टी अंततः 31 अगस्त, 1998 को समय के बीत जाने से समाप्त हो गई तथा इसमें शामिल मध्यस्थता खंड भी समाप्त हो गया और इसलिए नए मध्यस्थता समझौते के अभाव में, दिनांक 1 सितंबर 1998 से 31 अगस्त, 1999 तक की अवधि से संबंधित प्रत्यर्थी का दावा को मध्यस्थता हेतु लागू करके नहीं भेजा जा सकता | दिनांक 6 मई, 1997 के चार्टर पार्टी करार में मध्यस्थता खंड जोर देते हुए दिनांक 26 अगस्त 1998 के फैक्स संदेश पर जिसे ऑयल कोऑर्डिनेशन समिति द्वारा अपीलकर्ता सहित तेल कंपनियों को संबोधित किया गया था, उक्त के साथ साथ उन्हें सूचित किया गया कि 'वर्तमान चार्टर हायर दर का आगे कोई विस्तार नहीं होगा| विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त संदेश ने सभी संबंधितों को यह स्पष्ट कर दिया गया कि चार्टर पार्टी दिनांक 6 मई, 1997 का किसी भी परिस्थिति में विस्तार नहीं किया जाएगा।

16. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने कहा कि इसके बावजूद तथ्य यह है कि मूल रूप से चार्टर पार्टी करार दिनांक 29 जून 1998 के परिशिष्ट के तहत तय की गई अवधि का अवसान हो गया था, पक्षकारों का पश्चात वर्ती आचरण दर्शाता है कि अपीलकर्ता द्वारा 31 अगस्त 1998 के बाद जहाज का इस्तेमाल होता रहा जो दिनांक 6 मई 1997 के चार्टर पार्टी में निर्धारित नियम एवं शर्तें के अधीन किया जाता रहा इसलिए, पार्टियों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि इस सब के होते हुए भी जब तक 6 मई 1997 के चार्टर पार्टी करार के खंड 4 और 23 की शर्तों के अनुसार जहाज को दोबारा सुपुर्द नहीं किया गया था तब तक उक्त समझौता समाप्त नहीं माना जा सकता। यह बताया गया कि ऐसी अवधि के दौरान मालिकों के साथ-साथ चार्टरर्स भी दायित्वाधीन थे जिसके तहत चार्टर करार दिनांक 6 मई, 1997 की अवधि समाप्त होने के बाद भी जहाज सतत उपयोग में था और चार्टर पार्टी के तहत उसका निर्वहन जारी रखा गया| इस बात के समर्थन में कि किसी पक्षकार के आचरण से भी सहमति प्राप्त हो सकती है, जैसे वर्तमान मामले मे जहाज का निरंतर उपयोगकर्ता जिसने प्रत्यर्थी के दिनांक 04 जनवरी, 1999 के पत्र पर कोई आपत्ति नहीं पेश की | इस न्यायालय के निर्णय **इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य** के प्रकाश मे उक्त अभिमत लिया गया था | यह भी प्रस्तुत किया गया कि उच्च

न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण प्रशंसनीय होने से संविधान का अनुच्छेद 136 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप अनुचित है।

17. इस प्रकार, निर्धारण के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 6 मई, 1997 की चार्टर पार्टी करार दिनांक 31 अगस्त 1998 को चार्टर किराये की विस्तारित अवधि के अवसान पर समाप्त हो चुकी है तथा इसके साथ पक्षकारों के बीच मध्यस्थता करार भी समाप्त हो गया?

18. इससे पहले कि हम दोनों पक्षो के प्रतिद्वंद्वी रुख की जांच करने के लिए आगे बढ़ें, हम पा सकते हैं कि शुरुआत में , यह न तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण और न ही उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा किया गया दावा अन्यथा चार्टर पार्टी में मध्यस्थता खंड के दायरे में आते हैं या नहीं | विवाद में यह है कि क्या पक्षकारों के बीच 31 अगस्त 1998 की तारीख के बाद मध्यस्थता समझौता का अस्तित्व ख़त्म हो गया था जैसे चार्टर पार्टी करार की समाप्त अवधि | इसलिए, हम मध्यस्थता के क्षेत्र और दायरे पर कोई राय व्यक्त करने से स्वयं को प्रविरत करते हैं हालाँकि, प्रथम दृष्टया यह खंड काफी व्यापक शब्दों में लिखा हुआ प्रतीत होता है ।

19. निस्संदेह यह सच है कि सामान्य नियम यह है कि केवल मौन चुप्पी से प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो जाता परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि

इसे कई सारे शब्दों में किया जाना चाहिए -कुछ परिस्थितियों में, प्रस्ताविति अर्थात प्रस्तावगृहीता की मौन चुप्पी उसके आचरण के साथ मिलकर सकारात्मक कृत्य का रूप ले सकती है जो मौन चुप्पी से एक करार की स्वीकृति को गठित कर सकता है ,इसलिए, पक्षकारों के बीच किसी अनुबंध की शर्तें को न केवल उनके शब्दों से बल्कि उनके आचरण से से भी साबित किया जा सकता है|

20. हमारे विचार में, वर्तमान मामले मे सब साइलेंटियो (मौन चुप्पी )का सिद्धांत स्पष्ट रूप से कार्यान्वित होता है| जैसा कि ऊपर बताया गया है, चार्टर पार्टी करार दिनांक 6 मई 1997 की विस्तारित अवधि जो 31 अगस्त 1998 के बाद समाप्त हो गई थी और नए निमंत्रण के अनुसार प्राप्त बोलियां अंतिम रूप देने के लिए लंबित थीं, प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 12 अक्टूबर 1998 से अपीलकर्ता को सूचित किया थाने कहा कि वे 1 जुलाई 1998 से जहाज के उपयोग के लिए नई दरें लागू करने के लिए सहमत हैं, बशर्ते कि सभी नौ जहाजों का उपयोग किया गया हो । तथापि, 31 अक्टूबर, 1998 को अपीलकर्ता ने आईओसीके संदेश को फैक्स प्रेषित किया कि 30 अगस्त, 1998 तक प्रचलित दरो से घटी हुई दरो अर्थात 80 प्रतिशत दर पर एक महीने के लिए मौजूदा तटीय टैंकर बेड़े के विस्तार के लिए उपयोग करने के आशय कि सूचना दी। उक्त पत्र की प्राप्ति पर,प्रतिवादी ने 5 नवंबर 1998 को अपने पत्र के माध्यम से इसका विरोध किया नए नीलामी बोली के तहत जहाज के लिए दरों में संशोधन पर

विचार नहीं किया जा रहा है और स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके लिए तेल समन्वय समिति के प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं है जो दिनांक 12 अक्टूबर 1998 के पत्र से सूचित किया गया था| एक बार फिर अपीलकर्ता के फैक्स दिनांक 31 दिसंबर, 1998 का उत्तर देते समय जिससे प्रतिवादी को दिनांक 4 जनवरी 1999 तक एक अनंतिम चार्टर पार्टी पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था, प्रतिवादी ने अपने दिनांक 4 जनवरी, 1999 के पत्र द्वारा अपीलकर्ता का इसकी ओर ध्यान दिलाया कि सामान्य प्रथा यह है कि नए चार्टर पार्टी करार को अंतिम रूप देना लंबित होने तक , चार्टर पार्टी के मौजूदा नियम और शर्तें जारी रहनी चाहिए और इसलिए, वे मौजूदा नियमों और शर्तों के आधार पर अपीलकर्ता के समझौते पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक थे | यह सुझाव दिया गया कि उनके बीच दिनांक 1 सितंबर, 1998 से मामले का अंतिम निर्णय होने तक की अवधि के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जा सकते हैं जिसके द्वारा मौजूदा नियम एवं शर्तों पर चार्टर किराये, जो मौजूदा चार्टर पार्टी के तहत प्रचलित थी, का 90% दर पर अस्थायी रूप से तदर्थ आधार पर भुगतान किया जा सकता है | उपरोक्त अंकित अनुसार, प्रतिवादी के पत्र पर दिनांक 4 जनवरी, 1999 अपीलकर्ता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके उक्त दिनांक के पत्र पर अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को सुझाव दिया ही था कि औपचारिक समझौते के रूप में पर उक्त पत्र चार्टरर्स और जहाज़ मालिक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित

किया जा सकता है |स्पष्टतह दोनों पक्षो के बीच ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए । इस वर्ष के दौरान निस्संदेह, पक्षकारों के बीच आगे पत्राचार का कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ फिर भी, अपीलकर्ता ने दिनांकित 6 मई, 1997 के समय चार्टर करार के तहत उनके साथ किराये पर जहाज का उपयोग जारी रखा| पक्षकारों का आचरण, जैसा कि पत्राचार मे साबित होता है और  विशेष रूप से प्रतिवादी के दिनांक 5 नवंबर, 1998 और 4 जनवरी, 1999 के पत्र मे व्यक्त बात पर अपीलकर्ता की चुप्पी इस तथ्य के साथ में कि उन्होंने जहाज का उपयोग जारी रखा , स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चार्टर रेट को छोड़कर, दोनों पक्षो के बीच कोई अन्य विवाद नहीं था । उन्होंने प्रतिवादी के रुख को मौन रूप से स्वीकार कर लिया और इस प्रकार चार्टर पार्टी दिनांक 6 मई, 1997 में निहित अन्य नियमों एवं शर्तों से स्वयं को बाध्य करना जारी रखा, जो स्पष्ट रूप से मध्यस्थता खंड मे शामिल थे

21. हम प्रत्यर्थी के अपनाए रुख के आधार पर विवाद बिन्दु का अन्य कोण से परीक्षण कर सकते है कि दिनांक 6 मई, 1997 की चार्टर पार्टी करार तब तक चलन मे रहेगा जब तक चार्टर्ड जहाज पुनः लौटाए नहीं जाए. इसके संदर्भ मे खंड 04 और 23 को निर्दिष्ट करना उचित होगा जो निम्न प्रकार है -

“ 4. *वितरण और पुनः वितरण*

*4.1. जहाज सीधे चार्टरकर्ताओं के लिए दिनांक 22.09.1996 की 23:48 बजे से दिनांक 30.06.1998 चार्टर पर जारी बना रहेगा | भारत के पश्चिमी तट पर किसी भी बंदरगाह पर अंतिम जावक पायलट को छोड़ने के बाद जहाज को चार्टरर्स विकल्प पर चार्टरर्स द्वारा मालिकों को पुनः वितरित किया जाएगा | चार्टर मालिकों को मालिकों को पुन: डिलीवरी के 15 दिन का पूर्व नोटिस देना होगा*

4.2 चार्टरर्स को अंतिम तीन कार्गो को साफ करके लोड करने होंगे और साफ हालत में पुनः वितरित करेंगे

***23. अंतिम यात्रा***

तक भाड़े का भुगतान देना शेष हो तब क्या जहाज के पुनर्वितरण के समय जहाज अपनी यात्रा पर होना चाहिए तब भाड़े का भुगतान उतनी अवधि के लिए जिस पर मालिक और चार्टरर सहमत हो सकते हैं, भाड़े का भुगतान किया जाएगा जैसा कि यात्रा को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुमानित समय से कम है | चार्टरर्स द्वारा मालिको के लिए ऐसे खर्च जो किए गए है और किए जाने अपेक्षित है या संवितरण किए गए या संवितरण किए जाने अपेक्षित है तथा यात्रा के समाप्ती पर शेष बचे ईंधन की राशि को घटाते हुए किए जाएंगे जब जहाज पुनः सौंपा जाता है तो कोई अधिक भुगतान किया जाता है तो उसे मालिकों द्वारा वापस कर दिया जाएगा या चार्टरर्स द्वारा भुगतान किया गया कम भुगतान से घटाया

जाएगा | इसके खंड 4 के प्रावधानों के बावजूद क्या जहाज को अवधि की समाप्ति पर यात्रा पर होना चाहिए तो चार्टरर्स को जहाज का उपयोग उसी दर पर करना होगा जो इस चार्टर में विहित शर्त एवं नियमो के अनुसार हो और ऐसे विस्तारित समय के लिए शर्तें जो आवश्यक हो सकती हैं जिस दौर की यात्रा पर वह लगी हुई है उसे पूरा करने के लिए और चार्टर द्वारा बताए उपबंधो के अनुसार पुनर्वितरण के लिए आवश्यक समझी जाए|

22. उक्त खंडों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता उपर्युक्त खंडों में बताई प्रक्रिया के अनुसार जहाज को फिर से वितरित करने के  दायित्व के अधीन था | निर्विवाद रूप से, जहाज को कम से कम प्रासंगिक अवधि के दौरान पुनः वितरित नहीं किया गया था और अपीलकर्ता ने 31 अगस्त, 1998 के बाद भी जहाज का उपयोग जारी रखा। चार्टर के खंड 4.1 के अनुसार जहाज को पुनः वितरित करने में विफल होना, अपीलकर्ता यह दलील नहीं दे सकता कि चार्टर पार्टी करार पूरी तरह पर्यवसित हो चुका था| तय की गई दलीलों और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के विरचित विवाद बिन्दु नंबर 2 से स्पष्ट है कि, यह प्रतिवादी का सुसंगत रुख था कि चूंकि चार्टर पार्टी के करार कि समय अवधि के अंत में किराये पर लिए गए जहाज की पुनः डिलीवरी नहीं की गई थी, ऐसी स्थिति मे जहाज चार्टर पार्टी दिनांक 6 मई, 1997 में दिए गए नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा। हालाँकि, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने उक्त विवाद बिन्दु का निस्तारण प्रतिवादी के विपक्ष मे

दिया । हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जहाज की डिलीवरी न होने के प्रभाव और परिणामों के संबंध में उत्पन्न होने वाले प्रश्न जो खंड 4.1 और 23 की शर्तों के तहत उत्पन्न होने हुए हो ऐसा प्रश्न स्वयमेव उक्त 'चार्टर पार्टी' करार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाला प्रश्न समझा जाएगा| सम्मानित विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने प्रस्तुत मामले के इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया |

**23**. इसलिए हमारी राय है कि यद्यपि दिनांक 6 मई 1997 का चार्टर पार्टी समझौता का प्रवर्तन दिनांक 31 अगस्त, 1998 को समाप्त हो गया लेकिन यह अभी भी कुछ उद्देश्यों के लिए अस्तित्व में था, जैसे निर्धारित तंत्र के अनुसार पोत पुन: वितरण नहीं करने का प्रभाव और निर्धारित समय से परे इसका सतत उपयोग किया जाना| इस प्रकार उक्त चार्टर पार्टी करार मध्यस्थता खंड में इनके उपरोक्त मूल उद्देश्य और अन्य सम्बद्ध उद्देश्य के संबंध में संचालित था| अतः प्रस्तुत मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य मे अपरिहार्य निष्कर्ष इस प्रकार है कि दिनांक 6 मई 1997 को टाइम चार्टर पार्टी करार की अवधि समाप्ति के बावजूद उक्त चार्टर पार्टी का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, समाप्त नहीं हुआ जिसके अंतर्गत इसके तहत उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्धारण और उसमें निहित मध्यस्थता खंड को प्रत्यर्थी द्वारा लागू किया जा सकता है

**24.** उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता के बारे मे दिये गए निष्कर्ष में हमें कोई कमजोरी नजर नहीं आती कि चार्टर पार्टी करार दिनांक 6 मई, 1997 समय के प्रवाह के साथ समाप्त नहीं हुआ था और यह और पक्षकारों के आचरण से विस्तारित हो गया था|

**25.** न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि एक मध्यस्थता करार पक्षकारों के बीच मौजूद था | जिस प्रश्न पर विचार किया जाना बाकी है कि क्या पक्षकारों के बीच के विवादों को उसी मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास भेजा जाना चाहिए जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि किसी भी मध्यस्थता समझौते के अभाव में उसके पास दावे और प्रतिदावे को विचारण करने और मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है । हमें लगता है कि एक नए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करना उचित और समीचीन होगा । तदनुसार, हम एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण जिसमें न्यायमूर्ति एम. जगन्नाधा राव (अध्यक्षता) शामिल हैं तथा (मध्यस्थ), न्यायमूर्ति डी.पी. वाधवा और न्यायमूर्ति एस.एन. वरियावा, पूर्व न्यायाधीशगण को मिलकर गठन करते हैं जो पक्षकारों की सहमति और ऐसी शर्तों एवं नियमो के अधीन, जो वे उचित और उचित समझें,पक्षकारों द्वारा पेश दावे/प्रतिदावे पर अपना निर्णय पारित करेगा| यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विद्वान न्यायाधिकरण इस आदेश में पक्षकारों के रुख पर किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित होकर मामले का निपटान करेगा |

**26**.परिणामस्वरूप, अपील किसी भी योग्यता(Merit) से रहित होने के आधार पर खारिज कर दिया जाता है, हम पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

**27.** रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश को विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्यों तक पहुंचाए जिस से वे प्रस्तुत संदर्भ को सुन सके और यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लें।

अपील ख़ारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **विजय टांक** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया।

**नोटः** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयण के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

धन्यवाद।